D-II-1825/2018

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

SHCIL MATHURA — Stock Holding Corporation of India Limited

Certificate No.	:	IN-UP04130612591759Q
Certificate Issued Date	:	03-Feb-2018 02:11 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0104970221924363Q
Purchased by	:	PREETAM SINGH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUJA GIRDHARPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SUNDAR SINGH
Second Party	:	PREETAM SINGH
Stamp Duty Paid By	:	PREETAM SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	18,37,300 (Eighteen Lakh Thirty Seven Thousand Three Hundred only)

---------------Please write or type below this line---------------

UP 0005157256

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

D.No-1825/2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार ... THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 569783

30 JAN 2018

|| ओउम सिद्धिदात्री नमः ||

<u>लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण–</u>

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **बिक्रय रकवा 1.2175 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश**
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 1,73,82,450/–रुपये
6. मालियत : 3,04,38,000/–रु.

7 देय स्टाम्प : 21,30,720/–रु. जिसमें वक्त इकरारनामा देय स्टाम्प–2,43,520/–रु व मुजरा स्टाम्प–2,43,420/–रु वक्त बैनामा देय स्टाम्प–18,87,300/–रु जिसमें जनरल स्टाम्प–50000/–रु व 18.37,300/–रु ई–स्टाम्प दिनांक 03.02.2018 जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।

8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट –2,50,00,000/–रुपया प्रति हैक्टेअर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।

कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक । मथुरा।

सुन्दरसिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 569784

CB 569784

30 JAN 2018

{2}

<u>प्रथम पक्ष की संख्या : (1)</u>
<u>विक्रेता का विवरण</u>
सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह निवासी नगला अमरा भाग नौगाँव तहसील व जिला मथुरा।
पैन : ई डब्ल्यू डी पी एस 7631 जे

<u>द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)</u>
<u>क्रेता का विवरण</u>
प्रीतम सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूँगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा, द्वारा मुख्त्यारआम **विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूँगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा,** बजरिये मुख्त्यारनामा आम दिनांक 28.07.2011 जिसका निबंधन कार्यालय उपनिबंधक मथुरा पर बही सं. 4 जिल्द सं. 201 के सफा 1–10 नंबर 416 पर दिनांक 28.07.2011 को हुआ है, जो मुख्त्यारनामा आज तक पूर्ण रूप से वैध है तथा निरस्त नहीं हुआ है तथा मुख्त्यारकर्ता जीवित है।
पैन : ए एक्स एच पी एस 2050 ए

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 569785 CB 569785

30 JAN 2018

{3}

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1417–1422 के अनुसार खाता संख्या 71 खसरा संख्या 97 रकवा 2.4350 हैक्टेअर लगानी रुबरु कागजात स्थित मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा, में विक्रेता का हिस्सा 1/2 भाग यानि रकवा 1.2175 है0 सम्पूर्ण अंश मिल्कियत बिक्रेता प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष बिक्रेता ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 569786 CB 569786

30 JAN 2018

आराज़ी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेता की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेता का सरासर लाभ है। अतः उक्त आराजी भूमिधरी **हिस्सा 1/2 भाग यानि बिक्रय रकवा 1.2175 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि** जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570361

30 JAN 2019

{5}

हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित बखुशी बराजी अपने बऐवज 1,73,82,450/–रु. (एक करोड तिहैत्तर लाख ब्यासी हजार चार सौ पचास रूपये) में बदस्त **प्रीतम सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूँगरा सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा,** खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी **रकवा 1.2175 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि** पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570362

30 JAN 2019

प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा–खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570363

CB 570363

आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता व खरीदार दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूबैल आदि नहीं है। बेची गयी आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है तथा खेती हो रही है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थ्यचित्त होशो–हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाब के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570364 CB 570364

{8}

आराजी को बेचने का सौदा विक्रेता ने क्रेता के साथ इकरारनामा दिनांक 30.05.2014ई0 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा पर बही सं. 1 जिल्द सं. 10587 के सफा 349–382 प्रलेख सं. 8558 पर हुआ है, तय किया, जिसके अनुपालन में उक्त भूमि का बैनामा विक्रेता, क्रेता के हक में कर रहे हैं **और मुझ विपिन सिंह को क्रेता प्रीतम सिंह की ओर से प्राप्त मुख्त्यारनामा आम द्वारा उक्त भूमि क्रेता के नाम से क्रय करने, कीमत का रुपया अदा करने, बैनामा रजिस्ट्री कराने व करने आदि के पूरे–पूरे अधिकार प्राप्त हैं।**

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 17382450 स्टाम्प शुल्क- 1887300 बाजारी मूल्य - 30438000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

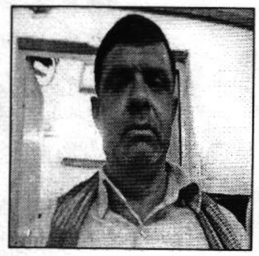

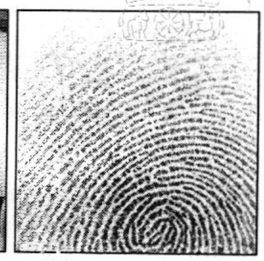

श्री सुन्दर सिंह ,

पुत्र श्री स्व० राम सिंह

व्यवसाय : अन्य

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/02/2018 एवं 02:35:06 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)

उप निबंधक :सदर प्रथम

मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570365

30 JAN 2019

{9}

<u>विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का–</u>

मूल्य का कुल 1,73,82,450/–रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि–
30,44,000/–रु चैक सं. 357637 दि0 30.05.2014 कैनरा बैंक मथुरा इकरारनामा द्वारा प्राप्त किए।
1,50,000/–रु चैक सं. 864193 दि0 05.06.2017 कैनरा बैंक मथुरा।
50,000/–रु चैक सं. 208076 दि0 16.01.2018 कैनरा बैंक मथुरा।
10,00,000/–रु चैक सं. 035145 दि0 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा।
8,00,000/–रु चैक सं. 035146 दि0 01.02.2018 कैनरा बैंक मथुरा।
10,00,000/–रु चैक सं. 035147 दि0 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा।
5,00,000/–रु चैक सं. 035148 दि0 31.07.2019 कैनरा बैंक मथुरा।
20,00,000/–रु चैक सं. 035149 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।
20,00,000/–रु चैक सं. 035150 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।
20,00,000/–रु चैक सं. 035151 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।
20,00,000/–रु चैक सं. 035152 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।
20,00,000/–रु चैक सं. 035153 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।
8,38,450/–रु चैक सं. 035154 दि0 31.01.2021 कैनरा बैंक मथुरा।

सुन्दरसिंह

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री स्व० राम सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1 3-2-18

श्री प्रीतम सिंह के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह

निवासी: ग्राम पालीडूंगरा गोवर्धन मथुरा हाल निवासी–महाराजा हाऊस 106,107,108, आनन्दलोक मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री निरपत सिंह, पुत्र श्री रामसरन सिंह

निवासी: पालीडूंगरा गोवर्धन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री जयवीर सिंह, पुत्र श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला अमरा भाग नौगांव मथुरा

व्यवसाय: अन्य

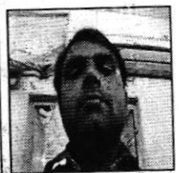

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 570366

{10}

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 03.02.2018
टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

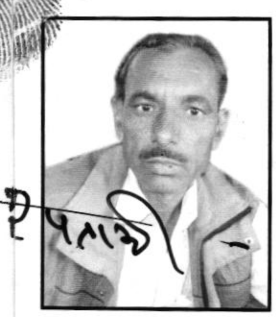

साक्षी–
1. निरपत सिंह पुत्र श्री रामसरन सिंह
नि0 पालीडूंगरा तह0 व जिला मथुरा–9720477053

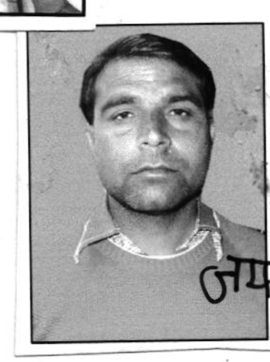

2. जयवीर सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह
नि0 नगला अमरा भाग नौगाँव तह0 व जिला मथुरा–9761870095

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13790 के पृष्ठ 367 से 390 तक
क्रमांक 1825 पर दिनाँक 03/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा

जनरल स्टाम्प
क्र०सं० 6 3-2-18
नाम
ह०स०
अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 11 रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

नक्शा नजरी बाके मौजा गिरधरपुर तह० व
जि० मथुरा रकबा = 1.2175 हे० सम्पूर्ण अंश
खसरा नं० 97.

वि०- सुन्दर
क्रे० प्रीतम सिंह

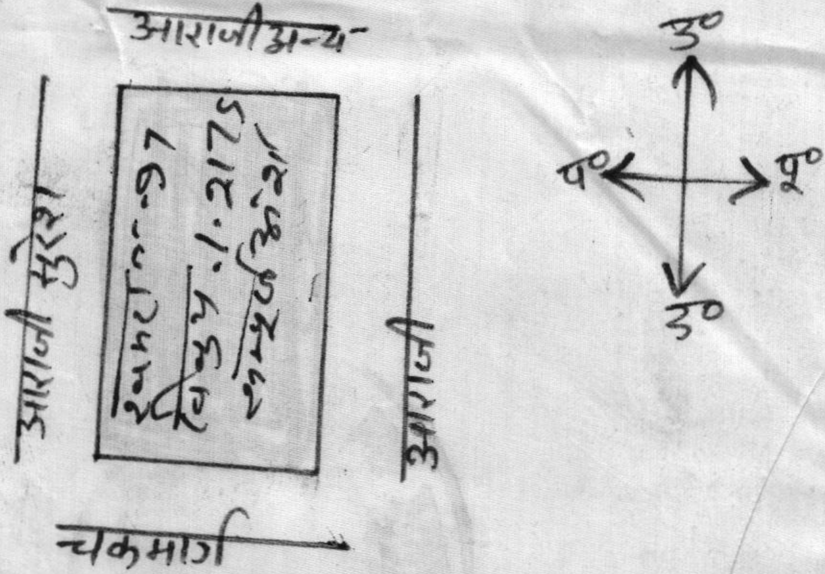

सुन्दर सिंह — प्रीतम सिंह